कार्यालय नगर पालिक निगम,भिलाई–चरोदा,जिला–दुर्ग (छ0ग0)

क्रमांक / 1 / स्था0 / नियु. / 2016 / भिलाई–चरौदा,दिनांक 27.01.2016

// आदेश //

संचालनालय,नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ रायपुर के पत्र क्रमांक/स्था/ एक/वि/700/2015/508 रायपुर दिनांक 20.01.2015 के परिपालन में उप अभियंता के पद पर नियमित स्थापना में वेतन बैंड 9300 34800 + 4200 ग्रेड पे तथा शासन द्वारा समय समय पर देय महंगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से दो वर्ष की परिविक्षा अवधि पर निम्नांकित चयनित अभियार्थी की नियुक्त किया जाता है :

क्र0	चयनित अभियार्थी का नाम एवं पता	संवर्ग
1	श्री प्रतीक चतुर्वेदी / महेन्द्रकुमार,7 उत्सव विहार रोहणीपुरम रायपुर (छ0ग0)	अनारक्षित
2	श्री विकटर वर्मा / अखलेश वर्मा, 7ए रूआबांधा सेक्टर भिलाई जिला –दुर्ग(छ0ग0)	अनारक्षित
3	श्री मुकेश कुमार रात्रे / पवनकुमार रात्र,माधवराव राप्रे वार्ड 68 सतनामी पारा रायपुरा(छ0ग0)	अनूसूचित जा[illegible]

सेवा शर्ते

1 इनकी सेवाऐं छ0ग0 नगर पालिक निगम (अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम 2007 के प्रावधानों के तहत विनियमित होगी।

2 उभय पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना के एवज में एक माह का वेतन देने पर सेवाऐं समाप्त समझी जावेगी।

3 नियुक्ति आदेश प्रसारित होने के 10 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा,अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

4 कार्यभार ग्रहण करते समय जिला चिकित्सालय से चिकित्सा प्रमाण प्रत्र, आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए प्रमाण–पत्रों के मूल प्रमाण पत्रों एव उनकी प्रमाणित छायाप्रति तथा एक कोरी सेवा पुस्तिका प्रस्तुत करना होगा।

5 कार्यभार ग्रहण करने पर निकाय द्वारा संबंधित कर्मचारी का पृथक से पुलिस विभाग से चारित्रिक सत्यापन कराया जावेगा। चरित्र सत्यापन पर संबंधित कर्मचारी के विरूद्व विपरीत टिप्पणी दी जाती है, तो संबंधित का सेवा समाप्ति कर दिया जावेगा।

6 अर्हता/प्रमाण–पत्र/दस्तावेज त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा। यदि अभ्यिर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज कूटरचित या फर्जी पाया जाता है तो उन्हें पद से बर्खास्त करते हुए भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जावेगा।

7 कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने समस्त मूल प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में 50.00 रूपये का स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपत्र पत्र प्रस्तुत करना होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई चरोदा

पृ क्रमांक / 1 / स्था0 / नियु. / 2016 / 2722 / भिलाई चरौदा,दिनांक 27.01.2016

प्रतिलिपि :

1 प्रमुख सचिव,नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छ0ग0शासन रायपुर
2 संचालक, संचालनालय,नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ रायपर
3 कलेक्टर दुर्ग एवं प्रशासक नगर पालिक निगम,भिलाई–चरोदा
4 संयुक्त संचालक,क्षेत्रीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास दुर्ग (छ0ग0)
5 कार्यपालन अभियंता / सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम,भिलाई–चरोदा
6 प्रभारी अधिकारी विधि एवं सामान्य प्रशासन नगर पालिक निगम,भिलाई–चरोदा
7 स्थापना प्रभारी, नगर पालिक निगम,भिलाई–चरोदा
8 स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम,भिलाई–चरोदा
9 सर्व सम्बंधित .... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

27.1.16

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई चरोदा